संख्याः ४६ भू0कय/18(2)/2007

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः 14 मई, 2008

विषयः– शान्ति एण्ड वेलफेयर सोसाइटी (रजि0), 201 ओम विहार कालोनी, कृष्णानगर हरिद्वार को महाविद्यालय की स्थापना हेतु तहसील ज्वालापुर के ग्राम जगजीतपुर में कुल 0.625 है0 भूमि कय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 1142/भूमि व्यवस्था–भूमि कय दिनांक 24–10–2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय हरिद्वार एजुकेशनल कालेज कन्या गुरूकुल कैम्पस कनखल को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत महाविद्यालय की स्थापना हेतु जनपद हरिद्वार की तहसील ज्वालापुर के ग्राम जगजीतपुर में गाटा संख्या 183म रकबा 0.277 है0, 172 रकबा 0.184 है0, 176/2 रकबा 0.031 है0, 178 रकबा 0.061 है0, 175 रकबा 0.072 है0 अर्थात कुल 0.625 है0 भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– केता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह

.....(2)

ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विकय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गयी भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी। उक्त अवधि के भीतर योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा।

7– संस्था के पास निर्धारित मानकानुसार स्वयं की भूमि तथा स्वामित्व प्राप्त हो (Land owned and possessed) निजी भूमि की लीज मान्य नहीं होगी, केवल सरकारी भूमि की न्यूनतम 30 वर्ष की लीज ही मान्य होगी।

8– संस्था को निर्धारित मानकानुसार भवन निर्मित करना होगा।

9– संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी/ओ0बी0सी0 को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा। इस शर्त को भी सम्बद्धता की शर्तो में जोड दिया जायेगा।

10– उत्तराखण्ड छात्रों का कम से कम 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

11– उत्तराखण्ड मूल के छात्रों से प्रवेश शुल्क, सिक्योरिटी इत्यादि के नाम पर एक हजार रूपये प्रति छात्र से अधिक न लिया जाये।

12– उत्तराखण्ड मूल के विद्यार्थियों को फीस में भी यथोचित रियायत दी जायेगी।

13– जो अध्यापक पढाने के लिये नियुक्त किये जायेंगे उनका वेतनमान यू0जी0सी0 का होगा तथा उनका वेतनमान उनके द्वारा खोले गये बैंक खाते में ही संस्था द्वारा जमा कराये जाने पर ही प्रमाण माना जायेगा।

.....(3)

14– अध्यापक नियुक्त करते समय जिला प्रशासन का एक प्रतिनिधि मौजूद रहेगा तथा एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 तथा उत्तराखण्ड के एस0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 आरक्षण लागू होगा। संस्थान द्वारा जितने भी तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त किये जायेगें उनका वेतनमान वहीं होगा जो उत्तराखण्ड राज्य सरकार का है एवं इनमें भी आरक्षण का पालन किया जायेगा तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को संविदा पर नहीं रखा जायेगा बल्कि उन्हें स्थाई नियुक्ति दी जायेगी तथा स्थाई नियुक्ति के सभी लाळा दिये जायेंगे।

15– संस्था/महाविद्यालय के आकस्मिक निरीक्षण पर यदि उपर्युक्त शर्तो/मानकों में कोई कमी पाई गयी तो अस्थायी सम्बद्धता के विस्तरण को निरस्त किया जा सकता है और प्रवेश प्रकिया पर भी रोक लगायी जा सकती है।

16– संस्था को अपने संस्था के टाईटिल में "प्राईवेट" शब्द जोड़ना अनिवार्य है, ताकि राजकीय तथा गैर राजकीय शिक्षण संस्थानों में स्पष्ट अन्तर मालूम हो सके एवं छात्र/अभिभावक भ्रंम की स्थिति में रहें। "प्राइवेट" शब्द का आकार, स्वरूप वहीं होगा जो सम्बन्धित संस्थान की टाईटिल में अन्य शब्दों का है।

17– संस्था को टाईटिल में "इन्स्टीट्यूट" के स्थान पर "कॉलेज" शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य होगा क्योंकि "इन्स्टीट्यूट" शब्द का प्रयोग The Emblems and Names (Prevention of improper use) Act 1950 का उल्लंघन है।

18– संस्थान द्वारा अपने टाईटिल में " उत्तराखण्ड/उत्तरांचल तथा राज्य इत्यादि शब्दों को भी टाईटिल में प्रयुक्त नहीं किया जायेगा। यह भी The Emblems and Names (Prevention of improper use) Act 1950 का उल्लंघन है।

19– उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत रोजगार नियमित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

20– किसी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कंर लिया जाये।

21– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी

...(4)

दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

22— नियमानुसार योजना प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों/ संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकतायें/ अनापत्तियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।

23— उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
2— सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3— सचिव, श्रम एव सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन
4— सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
5— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6— श्री संदीप चौधरी, प्रबन्धक, शान्ति एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी (रजि0) पता— 37 नन्दपुरी आर्यनगर, हरिद्वार।
7— निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

1405081.13.P.2